

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)


मुकदमा नं. आ.सं. 56/2020

<p>तारीख हुकम</p>	<p>सरकार साम भोलीपुरा जाट हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए</p>
-----------------------	---	---

GCM NO 2020/00124 स 272 RT Act 1985

02/01/25- राजपूरीकार उपो वकील पत्नी द्वारा आज भी
जवाब पेश नहीं किया गया है पर्यट्र अक्सर
दिये जा चुके हैं अतः वकील पत्नी का
जवाब वेड किया जाता है वदस सुनी गयी।
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया
गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि
अपनी इस गम आसपुरा के ख.नं. 709/474
रकबा 0.6477 हेक्टर हीप शीम को बिना किसी
सजम अधिकारी की अनुमति गैर हीप उपयोग किया
गया है।

अतः दिनांक 17/08/2020 को जारी अर्थात्
निषेधाज्ञा को तात्कालिक संपूर्ण किया जाता है।
पत्रावली के सत्य श्रुति लेकर नम्बर से कथितकर
दस्तावेज दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

